आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 63 / 2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

15/9/20 दाता श्री रामहरी राम, पिता–अजयब राम, ग्राम–कोनी, थाना+अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद– सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
60	72	03 डी०	उतर–राम वरण राम दक्षिण–हरी गोप पूरब–कब्रिस्तान पश्चिम–नदी

मौजा–कोनी, थाना+अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 838 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई वाद में उपस्थित नही हुए और ना ही इस वाद में किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के कार्यालय पत्रांक 214 दिनांक 28.07.2020 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का अंगुठा का निशान है जिसका गवाह बाबुलाल साव और नारायण प्रसाद जीवनदानी है। वर्णित भूमि दिनांक 21.10.1954 को दान में दिया गया है। अंचल अधिकारी सोनभद्र वंशी सूर्यपूर ने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि भूमि रैयति खाते की है। वर्णित भूमि वर्तमान में पुनपुन नदी में विलेय हो गया है। भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ मालिक, गैरमजरूआ आम, केसरे हिन्द, श्मशान, मंदिर, मस्जिद आदि से मुक्त है।

अतः भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि दाता द्वारा दिनांक 21.10.1954 को गवाह बाबुलाल साव और नारायण प्रसाद जीवनदानी के समक्ष रैयति खाते की भूमि दान में दिया है। भूमि रैयति खाते की है जिसका अनुशंसा अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के द्वारा किया गया है। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है साथ ही वर्णित भूमि पुनपुन नदी में विलय हो जाने के कारण भूमि बॉटने की कार्यवाई करना संभव नही है जब तक की अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर द्वारा नापी कार्य नही की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
15/9/2020
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

15/9/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।